14.07.2021

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष अधिवक्ता को सुना प्रकरण में दिनांक 04.04.2013 को अन्तरिम आदेश जारी कर प्रार्थना-पत्र में वर्णित अराजियात में किसी प्रकार का निर्माण नही करने बाबत आदेश जारी किया गया था जो आज दिनांक तक चल रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में भूमि सह खातेदारी के रूप में प्रार्थी एवं विपक्षीगणो के नाम दर्ज है। भूमि कृषि के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है विपक्षीगण विवादित भूमि में बिना विभाजन कराये निर्माण कार्य कर रहे थे, जिस पर अन्तरिम आदेश जारी किया गया था। खातेदारी कृषि भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण बिना स्वकृति किया जाना गैर-कानूनी है निर्माण हेतु खातेदारो को भूमि संपरिवर्तन कराया जाना आवश्यक होता है, किन्तु इस प्रकरण में वर्णित भूमि बिना सम्परिवर्तन कराये विपक्षीगण निर्माण करना चाहते है जो न्यायोचित नही है।

उपरोक्त विवरण अनुसार दिनांक 04.04.2013 को जारी अन्तरिम आदेश को कनफर्म किया जाना उचित है।

आदेश

अतः पत्रावली का अवलोकन करने पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम-गल्यावड़ी के आराजी नम्बर 1008 रकबा 0.30 हे., आ.नं. 1014 रकबा 0.31 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.61 हे. भूमि में [illegible] निर्माण उभयपक्ष ना तो स्वयं करे ना ही अन्य से [illegible] मूल वाद के निर्णय तक रेकॉर्ड [illegible] यथा स्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल [illegible] नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.21 14:05:12 IST
Reason: SelfAttested